CENJOWS और NDMA के बीच समझौता ज्ञापन

स्रोत: पी.आई.बी

हाल ही में, भारत की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए,**सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज (CENJOWS**) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

- इस साझेदारी का उद्देश्य **'संपूर्ण राष्ट्र (Whole of the Nation)'** दृष्टिकोण के माध्यम से आपदा न्यूनीकरण, तैयारी और प्रतिक्रिया में **महत्त्वपूर्ण चुनौतियों** का समाधान करना है।
- **संयुक्त पहल के लिये रूपरेखा:**
  - **सहयोगात्मक अनुसंधान:** भारत सरकार को नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिये **आपदा प्रबंधन, NHDR** परिचालन और आपदा कूटनीति पर अध्ययन करना।
  - **क्षमता निर्माण:** सशस्त्र बलों के कर्मियों, **NDMA अधिकारियों और अन्य प्रमुख एजेंसियों सहित हितधारकों** के लिये सेमिनार, कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
  - **जागरूकता अभियान: राष्ट्रव्यापी जागरूकता पहल** के माध्यम से आपदा तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देना।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता:** भारत की **विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप आपदा प्रबंधन** पर वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाना।
  - **CENJOWS की स्थापना वर्ष 2004** में **रक्षा मंत्रालय** द्वारा की गई थी, और यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है।
    - CENJOWS का उद्देश्य हितधारकों के लिये सिद्धांत और नीति निर्माण में सहायता के लिये **शोध-आधारित विकल्प** प्रदान करने और बहस को बढ़ावा देने के माध्यम से **व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के चालक के रूप में** एकजुटता को बढ़ावा देना है।
- **NDMA:**
  - इसकी **स्थापना आपदा प्रबंधन** के लिये भारत का सर्वोच्च वैधानिक निकाय के रूप में **वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** के तहत की गई थी।
  - इसकी अध्यक्षता **प्रधानमंत्री** करते हैं और इसमें **नौ सदस्य होते हैं**, जिनमें से एक **उपाध्यक्ष** होता है।

और पढ़ें: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mou-between-cenjows-and-ndma